



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234817
CG-DL-E-04042022-234817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]
No. 245]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. 257(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्व आसूचना निदेशालय (वर्ग 2, राजपत्रित) पद भर्ती नियम, 1975, निरीक्षण और लेखा परीक्षा निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद) (निरीक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 और सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उनका संबंध अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 2/मूल्यांकक/सीमाशुल्क निरीक्षक, निरीक्षण अधिकारी और अपर सहायक निदेशक के पदों से हैं, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन निदेशालयों में, अपर सहायक निदेशक (समूह 'ख', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क निदेशालय, अपर सहायक निदेशक (समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. विशेष उपबंध- (1) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित निदेशालयों के सभी समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (राजपत्रित और अराजपत्रित) के लिए निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली काडर नियंत्रण प्राधिकारी होगा, अर्थात् :-

- (i) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय;
- (ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय;
- (iii) माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय;
- (iv) रसद निदेशालय;
- (v) करदाता सेवा महानिदेशालय;
- (vi) प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय;
- (vii) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला;
- (viii) सतर्कता महानिदेशालय;
- (ix) मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय;
- (x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय;
- (xi) लेखापरीक्षा महानिदेशालय;
- (xii) विधिक मामले निदेशालय;
- (xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय;
- (xiv) मुख्य आयुक्त (प्राधिकृत प्रतिनिधि), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी);
- (xv) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय;
- (xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय;
- (xvii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय;
- (xviii) माल और सेवा कर महानिदेशालय।

(2) समूह 'ख' और समूह 'ग' की श्रेणी में सभी विलय किए गए निदेशालय पदों की परस्पर वरिष्ठता को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत किया जाएगा।

4. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपर सहायक निदेशक	390*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'ख'	स्तर -8 (रु. 47600-151100) टिप्पणी: वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (रु. 47600-151100) की श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर -9 (53100-167800 रुपये)।	चयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 85 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु० 44900-142400) में ऐसे निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी

		विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44900-142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और ii) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर और एकीकृत माल और सेवा कर के उद्घरण, निर्धारण और संग्रहण, आसूचना और अन्वेषण, माल और वाहनों पर सीमा नियंत्रण को प्रवृत्त करने, विवाद समाधान सहित कारण बताओ सूचना का प्रारूपण, अधिनिर्णयन और अपील या कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण की लेखा परीक्षा के मामलों में तीन साल का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है .
(12)	(13)
प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: - महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय - अध्यक्ष; - प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय (मानव संसाधन प्रबंधन- I) - सदस्य ; - अपर या संयुक्त निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय - सदस्य।	प्रोन्नति द्वारा पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। तथापि, प्रतिनियुक्ति द्वारा पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. सीबीसीई-10ए12/1/2018-एडी. IIबी]

एस.के. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2022

G.S.R. 257(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Revenue Intelligence (Class II, Gazetted posts) Recruitment Rules, 1975, the Directorate of Inspection and Audit (Customs and Central Excise) (Inspecting Officers) Recruitment Rules, 1987 and the Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs) Group 'B' posts, Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the posts of Superintendent of Central Excise Class II/ Appraiser/ Inspector of Customs, Inspecting Officer and Additional Assistant Director, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Assistant Director (Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial Posts) in the Directorates under the control of Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Excise and Customs Directorates, Additional Assistant Director (Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the post specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Special provision.— (1) Directorate General of Performance Management, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi will be the Cadre Controlling Authority for all Group 'B' and 'C' posts (Gazetted and Non Gazetted) for the following Directorates as approved by the Board, namely:-

- (i) Directorate General of Performance Management;
- (ii) Directorate General of Revenue Intelligence;
- (iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence;
- (iv) Directorate of Logistics;
- (v) Directorate General of Tax Payer Services;
- (vi) Directorate General of Systems and Data Management;
- (vii) Central Revenues Control Laboratory;
- (viii) Directorate General of Vigilance;
- (ix) Directorate General of Anti-Profiteering;
- (x) Directorate General of Export Promotion;
- (xi) Directorate General of Audit;
- (xii) Directorate of Legal Affairs;
- (xiii) Directorate General of Human Resource Development;
- (xiv) Chief Commissioner (Authorized Representative), Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT);
- (xv) Directorate General of Analytics and Risk Management;
- (xvi) Directorate General of Valuation;
- (xvii) Directorate of International Customs;
- (xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(2) Inter-se-seniority of all merged Directorates posts in the grade of Group 'B' and 'C' shall be integrated as per the instructions or guidelines issued by the Government of India from time to time in this regard.

4. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Disqualification.- No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Additional Assistant Director.	390*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'B'.	Level-8 (Rs. 47600-151100). Remark: Level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix after completion of four years of regular service in the grade of level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 15 per cent by promotion; (ii) 85 per cent by deputation.	Promotion: Inspector (Central Excise) in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix having two years of regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks of training prescribed by the Department.

			Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of Central Government or State Government or Union Territories,- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in a post in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelors degree from a recognized University or Institute; and (ii) three years experience in the matters of levy, assessment and collection of Customs duty, Central Excise duties, Goods and Service Tax and Integrated Goods and Service Tax, Intelligence and Investigation, enforcement of border control on goods and conveyances, dispute resolution including drafting of Show Cause Notices, adjudication and appeals or Audit of assessments for ensuring tax compliance. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion : 1. Director General, Directorate General of Performance Management - Chairman; 2. Principal Additional Director General or Additional Director General, Directorate General of Human Resource Development (Human Resource Management-I) - Member; 3. Additional or Joint Director, Directorate General of Performance Management - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post by promotion. However, consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post by deputation.

[F. No. CBEC-10A12/1/2018-Ad.IIB]

S. K. JAIN, Under Secy.